



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांक:- आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/6(15)/2015- 805
दिनांक:- 15/03/2023

परिपत्र

विषय:- आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.2022 के अनुसार आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक भरे जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/625 दिनांक 04.01.2023 का जारी कर अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉगइन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक भरने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 14.03.2023 जारी कर उक्त अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 15 मार्च से 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाई गई है।

अतः आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त परिपत्र दिनांक 14.03.2023 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा है, वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

(डॉ. टी.आर. अग्रवाल)^{रा.ले.से.}
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सीओ, उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू-पीसी रॉक फॉस्फेट/लाईमस्टोन/लिग्नाईट/जिप्सम एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर/दिल्ली/कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), सीओ।
5. संबंधित पत्रावली/गार्ड पत्रावली/संबंधित नोटिस बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)